

आदेश

तिथि

Apr 11 2024

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बडापिछडी थाना गोविन्दपुर

| खाता | प्लॉट | रकबा |
|------|-------|-------------------------------|
| 215 | 3963 | 0 एकड़, 3.44 डिसमील, 0 हेक्टर |

का बिक्रेता

| विक्रेता का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|---|--------|-------------------|
| SRI BISHWANATH MANDAL | पिता | LATE BIKAL MANDAL |
| NINETY NINE BUILDERS PVT LTD REP BY DIRECTOR MAHESH KUMAR | पिता | LATE BHARAT MODI |

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 7969 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

| रियत का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|---|--------|----------------|
| विकल मंडल | पिता | दामु मंडल |
| वो शम्भु मंडल वो रासु मंडल वो छुटु मंडल | पिता | आजु मंडल |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन और अनुशंसा के आलोक में दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृति दी जाती है

अतः वार्षिक लगान **2रुपये**

स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
SHASHI BHUSHAN SINGH
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Deepa Simha Rinkhe